भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2200

दिनांक 20.12.2022/ 29 अग्रहायण, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

एफसीआरए का पंजीकरण

†2200. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः

श्री डी.एम. कथीर आनन्दः

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियनः

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजीः

श्री प्रताप सिम्हाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेषरूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के गैर-सरकारी संगठनों के एफसीआरए में पंजीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अधिकतम समय सीमा क्या है;

(ग) एफसीआरए विधेयक के पारित होने के बाद एफसीआरए पंजीकरण हेतु अनुमोदित एनजीओ की सूची क्या है और आज की तिथि तक विशेषरूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के और इसमें भी विशेषरूप से चेन्नई के कितने एनजीओ पंजीकरण के लिए लंबित हैं;

(घ) सरकार द्वारा कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के एफसीआरए पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं; और

(ङ) पिछले छह वर्षों के दौरान तमिलनाडु के जिन एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क), (ख) एवं (घ): एफसीआरए पंजीकरण के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पात्रता मानदंड और पंजीकरण की शर्तों के अनुपालन का पता लगाने के लिए दस्तावेजों की जांच और फील्ड जांच रिपोर्ट शामिल है।

पंजीकरण का कार्य सामान्य गति से चल रहा है।

(ग): एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए एसोसिएशनों का विवरण गृह मंत्रालय के एफसीआरए वेबपोर्टल https://fcraonline.nic.in पर पहले से ही उपलब्ध है।

दिनांक 12 दिसम्बर, 2022 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु (चेन्नई सहित) राज्यों के एसोसिएशनों हेतु एफसीआरए, 2010 के तहत पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की संख्या क्रमशः 393, 594 और 432 है।

(ङ): पिछले छ: वर्ष अर्थात 2016 से 2021 के दौरान, तमिलनाडु राज्य के 756 एसोसिएशनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए गए हैं। इन एसोसिएशनों के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाण-पत्र एफसीआरए, 2010 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, एफसीआरए, 2010 की धारा 14 के तहत रद्द किए गए हैं।

******